

कार्यालय निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(61)पीएस/निकाशि/12/267

दिनांक :-6/8/12


समस्त प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय  
राजस्थान

विषय :- अवमानना प्रकरणों में पालना सुनिश्चित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिन व्याख्याताओं को उनकी अस्थाई सेवा को सम्मिलित कर वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है उनके वेतन रिथरीकरण कर भुगतान की सूचना कल दिनांक 07.08.2012 तक फौक्स द्वारा निदेशालय में प्रेषित करें।

प्रकरण अवमानना का है। इसे प्राथमिकता दें।



संयुक्त निदेशक  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,  
जयपुर।